मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक,– 26 जुलाई 2005

अधिसूचना

क्रमांक–1765/म.प्र.वि.नि.आ./05– विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1998–म.प्र.वि.नि.आ.–04 दिनांक 23.7.2004 द्वारा अधिसूचित ''पारेषण लायसेंसी/डीम्ड लायसेंसी की पारेषण अनुज्ञप्ति की शर्ते'' में निम्न संशोधन करता है ;

''पारेषण लायसेंसी/डीम्ड लायसेंसी की पारेषण अनुज्ञप्ति की शर्ते'' में संशोधन

कथित शर्तो में :

1. शर्तों के अंग्रेजी संस्करण में शीर्षक ''परिभाषाएं'' की कण्डिकाऐं सरल क्रमांक ''1.5'' तथा ''1.6'' के स्थान पर क्रमशः ''2.1'' तथा ''2.2'' पढ़ा जावे।

2. शर्तो के अंग्रेजी संस्करण में पार्ट–1 के शीर्ष "Definitions" की कण्डिका 2.2 में परिभाषा "Financial Statement" का द्वितीय पैरा अंक (1) तथा तृतीय पैरा अंक (2) से प्रारंभ होगा।

3. शर्तो के हिन्दी रूपांतरण में खण्ड 1 की कण्डिका 2 की परिभाषाओं में परिभाषा ''वितरण संहिता'' के उपरांत परिभाषा ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी'' के स्थान पर निम्न परिभाषाऐं अर्न्तस्थापित की जावे,

   ''वितरण अनुज्ञप्ति'' से अभिप्रेत है प्रत्येक अनुज्ञप्ति जो आयोग द्वारा धारा 14 के अंतर्गत वितरण व्यापार संचालित करने हेतु जारी की जावे ;

   ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति ;

   ''वितरण प्रणाली'' से अभिप्रेत तारों की प्रणाली से है जो पारेषण लाइनों के डिलेवरी बिन्दु के बीच या उत्पादन स्टेशन कनेक्शन और उपभोक्ताओं के अधिष्ठान के कनेक्शन प्वाईन्ट के बीच सुविधाऐं बनाने के लिए सहयुक्त हैं'';

4 . शर्तो के हिन्दी रूपांतरण के अंत में, शब्द, यथा, ''आयोग के आदेशानुसार, अशोक शर्मा, उपसचिव'' जोड़ा जावे;

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव